



Sanjay Gandhi Biological Park, Patna

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

कार्यालय— निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना

अल्पकालीन निविदा सूचना

सं० 06 / 2022–23

- 1— विभाग का नाम— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
- 2— विज्ञापनदाता का नाम— निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना।
- 3— निविदा प्राप्त करने की तिथि:— 27-12-2022 को 2:00 बजे अपराह्न तक।
- 4— निविदा खोलने की तिथि:— 27-12-2022 को 3:00 बजे अपराह्न।
- 5— अग्रधन राशि: निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सभी शौचालयों, सभी खुले प्रसाधन केन्द्र, सभी पेयजल आपूर्ति केन्द्र, सभी टंकी तथा इन सभी के आसपास की साफ—सफाई, झील की साफ—सफाई एवं अन्य सफाई कार्य इत्यादि।	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये)	एक माह की अर्पित राशि	रु० 1000/- प्रति।	01-01-2023 से 31-12-2023

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से कार्यविधि में प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर भी देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

21. सफल निविदाकर्ता को उद्यान स्थित सभी जल स्रोतों एवं आस-पास के क्षेत्रों की सफाई प्रतिदिन करायेंगे तथा पानी के टंकी की सफाई प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कराना अनिवार्य होगा जिसमें UV light treatment भी समिलित होगा, तथा सफाई की तिथि स्थलवार अंकित करना होगा।
22. सफल निविदाकर्ता को शौचालयों एवं जल स्रोतों के रख-रखाव हेतु समय-समय पर टूटे या छोरी हुए सामग्रियों का बदलाव यथा नल, फ्लश, सेंसर लाईट आदि मानक कंपनियों से निर्मित अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्रियों से कराना होगा।
23. सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने सफाई कार्य में प्रतिनियुक्त प्रत्येक कर्मियों को ब्लू टी-शर्ट जिसके पीठ वाले हिस्से पर सफाई कर्मी पीला रंग से अंकित होगा तथा ब्लू पैंट पहनकर तथा नेम प्लेट लगाकर कार्य करना होगा। निर्धारित यूनिफॉर्म के बिना कार्य पर उपस्थित होने वाले सफाई कर्मी को जू से बाहर कर दिया जायेगा।
24. सफाई कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने एवं संतोषजनक नहीं पाये जाने पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस के सफल निविदाकर्ता के साथ हुए एकरारनामे को रद्द कर दें तथा सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई जमानत की राशि को राज्यसात कर लें। यदि सफल निविदाकर्ता, निविदा अवधि के बीच कार्य छोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में उनके निविदा को रद्द कर जमानत/प्रतिभूति राशि राज्यसात करने तथा उन्हें कृष्णचिन्हित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।
25. किसी भी विवाद के निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।
26. एकरारनामा अवधि में यदि द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद पाया गया तो इनके साथ वर्तमान दर पर ही अगले एक साल के लिए अवधि विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है।
27. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।
28. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा पूर्ण होने के पूर्व रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

दिनांक 01-01-2023 से 31-12-2023 तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर सभी शौचालयों, सभी खुले प्रसाधन केन्द्र, सभी पेयजल आपूर्ति केन्द्र, सभी टंकी तथा इन सभी के आसपास की सफाई, झील की साफ-सफाई एवं अन्य सफाई कार्य के लिए निविदा।

प्रपत्र 'ख'

प्रेषक,

नामः—

पिता का नामः—

पत्राचार का पताः—

दूरभाष / मोबाईल संख्या—

सेवा में,

निदेशक,

संजय गाँधी जैविक उद्यान,

पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सभी शौचालयों, सभी खुले प्रसाधन केन्द्र, सभी पेयजल आपूर्ति केन्द्र, सभी टंकी तथा इन सभी के आसपास की साफ-सफाई, झील की साफ-सफाई एवं अन्य सफाई कार्य दिनांक 01-01-2023 से 31-12-2023 तक करने/कराने हेतु मैं रूपये.....
(रूपये.....) प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2— मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

3— संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सभी शौचालयों, सभी खुले प्रसाधन केन्द्र, सभी पेयजल आपूर्ति केन्द्र, सभी टंकी तथा इन सभी के आसपास की साफ-सफाई, झील की साफ-सफाई एवं अन्य सफाई कार्य निविदा शर्त के अनुसार मेरे द्वारा कराई जाएगी।

4— उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

5— यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 06 के अनुसार एक माह की अर्पित राशि जमानत राशि के रूप में जमा करूँगा।

आपका विश्वासी,